


# कार्यालय कलेक्टर जिला-रतलाम (म0प्र0)

## खनिज शाखा

### सूचना का अधिकार 2005


1- सामान्य: संरचनात्मक ढांचा



2- कार्यालय में पदस्थ अधिकारियों के नाम, पदनाम, कर्तव्य तथा परिलब्धियां:-

क्र०	अधिकारी कर्मचारी का नाम	पदनाम	कर्तव्य	परिलब्धियां
1	श्री पी०के० शिल्पी	प्रभारी अधिकारी (उप संचालक)	संचालक एवं शासन द्वारा निर्धारित कर्तव्य सूची अनुसार कार्य एवं जिलाध्यक्ष द्वारा सौंपे गये अन्य कार्य	38,150
2	श्री रमेश सोलंकी	खनि निरीखक	---"--- एवं अवैध खनिज खनन परविहन की जांच एवं बकाया वसूली संबंधी कार्य।	11,170
3	श्री गौरव प्रजापति	सहायक मानचित्रकार	---"--- इतिहास प्रतिवेदन, क्षेत्र उपलब्धता संबंधी प्रस्ताव एवं नक्शा तैयार करना।	9,840
4	श्री राकेश मुजाल्दे	सहायक वर्ग-3	रतलाम जिला क्षेत्र के उत्खनिपटा/नीलाम खदान/अनुज्ञापत्र एवं शासन को प्रेषित की जाने वाली जानकारी पत्रक आदि	7,580
5	श्रीमती पूजा कपूर	भृत्य	पदअनुसार समस्त कार्य	6,050

3- कार्यालय में अपनाई जानेवाली निर्णय प्रक्रिया:-



#### 4- कार्यालय के द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने गुणवत्ता तथा मात्रा संबंधी जानकारी :-

म0प्र0शासन, खनिज साधन विभाग भोपाल ज्ञाप कं0 F 19-11/99/12/2 दिनांक 23-7-2001 अनुसार विवरण :-

कं0	कार्य/गतिविधि योजना का नाम	प्रभारी/ विहित अधिकारी	निपटारे की समय सीमा	निर्धारित समयावधि में जानकारी प्राप्त न होने पर जिस अधिकारी को शिकायत की जाना है उसका पदनाम	शिकायत के निराकरण की समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1-1	खनिज रियायत (पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/रिक्वैजिमेंट परमिट/खनिपट्टा)के आवेदन पत्र प्राप्त करना	अधीक्षक जिला कार्या0	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि उसी दिन अंकित होना	कलेक्टर	15 दिन
1-2	खनिज रियायत (उत्खनि पट्टा)के आवेदन पत्र प्राप्त करना	खनि अधि0 प्रभारी अधि0 सहा0खनि अधि0 खनिज शाखा	---"---	कलेक्टर	15 दिन
2	आवेदन पत्र की प्राप्त की जांच	---"---	10 दिन	कलेक्टर	15 दिन
3	त्रुटिपूर्ण खनि रियायत के आवेदन पत्र पूर्ण करना	खनि अधि0 प्रभारी अधि0 सहा0 खनि अधि0	30दिन	कलेक्टर	15 दिन
4	स्थल निरीक्षण प्रति वेदन प्राप्त करना	तहसीलदार/ खानि निरीक्षक	1 माह	कलेक्टर	15 दिन
		2-वनमंडलाधिकारी	2 माह		
5	स्थल निरीक्षण प्रति वेदन प्राप्त होने पर आवेदन पत्र की जांच	प्रभारी अधिकारी खनि शाखा सहा0खनि अधि0	30	कलेक्टर	15 दिन
6	खनिज रियायत के आवेदन-पत्रों (पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा उत्खानिपट्टा )का अंतिम निराकरण या शासन को निराकरण के लिए अग्रेषित किया जाना	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर	10 दिवस	संभागीय आयुक्त	15 दिन

7	नई खदान घोषित किए जाने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करना	अधिक्षक खनि शाखा सहा०खनि अधि०	आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि उसी दिन की अंकित होगी	कलेक्टर	15 दिन
8	आवंदन पत्र के संबंध में प्रारंभिक जांच	1-तहसीलदार 2-खनिनिरीक्षक	30 दिवस 30 दिवस	कलेक्टर	15 दिन
9	नई खदान घोषित करने के संबंध में अंतिम औदश जांच पूर्ण होने पर	कलेक्टर/ अपर कलेक्टर	15 दिवस	संभागीय आयुक्त	15 दिन
10	सेवा निवृत्ति/मृत्यु पर				
	1-अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति	कार्यालय प्रमुख	एक माह	जिला प्रमुख/ विभागाध्यक्ष	15 दिन
	2-उपादान एवं पेंशन	---"---	एक माह	---"---	15 दिन
	3-परिवार कल्याण निधि का भुगतान	---"---	तीन माह	---"---	15 दिन
	4-सामानय भविष्य निधि का भुगतान	---"---	तीन माह	---"---	15 दिन
	5-परिवार अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया)	---"---	तीन दिन	---"---	7 दिन
	6-अन्य भुगतान	---"---	एक माह	---"---	15 दिन
11	सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों में नगक प्रदाय	कार्यालय/ जिला संस्था/ प्रमुख	15 दिन	कलेक्टर/ विभागाध्यक्ष	15 दिन
12	सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन को सूचना देना	---"---	15 दिन	---"---	15 दिन
13	सूचना के अधिकार के अंतर्गत अभिलेखों के अवलोकन की सुविधा देना	---"---	15 दिन	---"---	15 दिन
14	खनिज रियायत (पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति/खनिपट्टा उत्खनि पट्टा/उत्खनन अनुज्ञा पत्र/ नई खदान घोषित किए जाने हेतु ) आवेदित क्षेत्र का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त करना	तहसीलदार	60 दिवस	कलेक्टर	15 दिवस

5- कार्यालय में उपयोग होने वाले तथा उपलब्ध :-

अ-अधिनियम:-

- खान और खनिज (विनियम और विकास ) अधिनियम 1957
- म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959
- म0प्र0ग्रामीण अवरंचना तथा संडक विकास अधिनियम 2005
- म0प्र0(अवैद्य उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम -2006

ब-नियम :-

- खनिज रियायत नियम 1960
- म0प्र0गौण खनिज नियमावली 1996
- अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवा संबंधी शासन द्वारा प्रभावशील नियम

स-सर्वक्यूलर्स:-

- शासन द्वारा खनिज नियमों के अंतर्गत समय समय पर पारित दिशा निर्देश संबंधी ज्ञान की नस्ती।

6- कार्यालय में संधारित किए जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची :-

- 1-मुख्य खनिज-खनि पट्टा-आवेदन/स्वीकृती पंजी
- 2-मुख्य खनिज -पूर्वक्षण अनुज्ञापत्र-आवेदन/स्वीकृती पंजी
- 3-उत्खननपट्टा आवेदन/स्वीकृती पंजी
- 4-उत्खनन पट्टा खतोनी पंजी
- 5-घोष विक्रय खदान पंजी
- 6-घोष विक्रय खदान खतोनी पंजी
- 7-अभिवहन पास स्टाक पंजी/जारी पंजी
- 8-अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी करने की पंजी
- 9-खनिज राजस्व आय वर्गीकरण पंजी
- 10-चेक लिस्ट
- 11-अभिलेखागार में प्रकरण भेजने की पंजी
- 12-आर0आर0सी0जारी करने की पंजी
- 13-अवैद्य उत्खनन/परिवहन प्रकरण पंजी
- 14-सिटीजन चार्टर पंजी
- 15-सूचना के अधिकार की पंजी

7- जानकारी आवश्यक नहीं ।

8- जानकारी आवश्यक नहीं ।

9- एवं

10- कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम पदनाम, वेतन तथा प्राप्त होने वाली सुविधाएं :-

क्रं	अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पद नाम	वेतन	प्राप्त होने वाली सुविधाएं
1	2	3	4	5
1	श्री पी०के० शिल्पी	प्रभारी खनि अधिकारी	15600-39100+7600	शासन द्वारा नियमों के प्राधान अनुसार प्रदत्त सुविधाएं
2	श्री रमेश सोलंकी	खनि निरीक्षक	5200-20200+2800	---"---
3	श्री गौरव प्रजापति	सहायक मानचित्रकार	5200-20200+2400	---"---
4	श्री राकेश मुजाल्दे	सहायक वर्ग-3	5200-20200+1900	---"---
5	श्रीमती पूजा कपूर	भृत्य	4440-7440+1300	---"---

11- बजट आवंटन / उपयोग :-

खनिज शाखा में - शासन की कोई योजना स्वीकृत नहीं है व ना ही किसी योजना के क्रियान्वयन संबंधी कोई बजट आवंटित है, खनिज शाखा के कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं बजट कार्य कलेक्टर कार्यालय वित्त शाखा द्वारा किया जाता है।

12- जानकारी आवश्यक नहीं ।

13- जानकारी आवश्यक नहीं ।

14- कार्यालय मे उपलब्ध जानकारीयो की सूची क्षेत्री तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कापी ) संलग्न है।

15- आम नागरिको को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएं जैसे-पुस्तकालय, पब्लिक काउटर आदि।

पुस्तकालय/पब्लिक काउटर जिला कार्यालय मे उपलब्ध है।

16- म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रं0 F 19-33/2003/12/2. दिनांक 21-9-2005.

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (1) में निहित प्रावधान अनुसार खनिज साधन विभाग के अंतर्गत कार्यरत विभागीय कार्यालयो हेतु निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपील अधिकारी नामांकित (पद नाम से) किए जाते है :-

क्र	कार्यालय का नाम	स्तर	लोक सूचना अधिकारी	प्रथम अपील अधिकारी
1	2	3	4	5
1	संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल	राज्य स्तर	प्रभारी अधिकारी स्थापना	संचालक
2	क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर	क्षेत्रीय स्तर	क्षेत्रीय प्रमुख	संचालक
3	जिला (खनिज शाखा) समस्त जिला	जिला स्तर	प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा	कलेक्टर

प्रभारी अधिकारी  
(खनिज शाखा)  
जिला-रतलाम (म0प्र0)